कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल
(ए–89 / रासूआ / 50–2 / भोपाल / 2006)

श्री बृजेन्द्र प्रसाद अपीलकर्ता
द्वारा– के.एल.पाण्डेय
60 / 1, शांति निकेतन, गोविन्दपुरा,
भोपाल

विरूद्ध

आयुक्त
नगर पालिक निगम
सदर मंजिल,
भोपाल **लोक सूचना अधिकारी,**

आदेश
(दिनांक 26.05.06)

यह अपील श्री बृजेन्द्र प्रसाद (अपीलकर्ता)ने सूचना का अधिकार अधिनियम (अधिनियम) की धारा 19(3) के अंतर्गत आयुक्त नगर निगम, भोपाल एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.02.02.06 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्न बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थीः–

1. नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा 1 जनवरी 1990 से 31.10.2005 तक ग्राम चूना भट्टी में आवासीय / व्यवसायिक भवन निर्माण हेतु जारी की गई स्वीकृति आदेश, स्वीकृत मानचित्र की सत्यापित प्रति।
2. नगर पालिक निगम द्वारा 1 जनवरी 1990 से 31.10.2005 तक ग्राम चूना भट्टी में आवासीय एवं व्यवसायिक भवन निर्माण की अनुमति जो जारी की गई है उस पर निर्माण के बाद कितने लोगों ने कम्पलीशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है उसकी प्रमाणित प्रति।
3. स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि निर्माण किया गया है तो उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है उक्त नियम की सत्यापित प्रति, सारांश / नोटिस जानकारी जिस रूप में हो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 'जे' की कंडिका 2 के तहत दी जावे।

2. लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी देने के लिये निर्धारित 30 दिन की समयावधि में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई । इसलिये अपीलकर्ता ने आयुक्त, नगर निगम एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष 29.12.2005 को अपील प्रस्तुत की थी ।

अपीलकर्ता के अनुसार इस अपील को अपीलीय अधिकारी ने बिना उचित कारण के निरस्त कर अधिनियम का खुला उल्लंघन किया है । इसलिये अपीलकर्ता ने उसके विरूद्ध राज्य सूचना आयोग के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है । अपीलकर्ता ने अपनी अपील में दो बिन्दुओं के आधार पर अपील अधिकारी का आदेश को अवैधानिक माना है । पहला बिन्दु यह है कि यह अपील अधिकारी का यह कहना कि अधिनियम के अन्तर्गत सूचना को संकलित करके देने का प्रावधान नही है, सही नही है । अधिनियम का उद्देश्य यह है कि जो भी जानकारी मांगी जाये, उसे देना चाहिये । दूसरा बिन्दु यह है कि जिस क्षेत्र की जानकारी मांगी गयी है, वह अत्यन्त छोटा है । अतः उसके रिकार्ड की सत्यापित प्रति देने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिये। अपीलकर्ता का यह कहना है कि वह गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी का व्यक्ति है इसलिये यह जानकारी बिना शुल्क के प्रदान की जाये।

3. इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी तथा आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी, नगर निगम को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये नोटिस दिया गया था। अपीलीय अधिकारी ने अपने उत्तर में यह उल्लेख किया है कि उनके द्वारा पारित किया गया आदेश पूर्णतः न्यायसंगत है। अपीलकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये दिनांक 09.01.06 और दिनांक 12.01.06 को सूचना दी गई थी लेकिन, वे नगर निगम में उपस्थित नहीं हुए और न ही उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया । अपीलीय अधिकारी का यह कहना है कि दिनांक 09.01.06 को जब सुनवाई की तिथि निर्धारित थी उसके दो दिन पूर्व उन्होंने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने अपनी ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किये थे जिसकी प्रति अपीलीय अधिकारी ने अपने पत्र के साथ भेजी है। उन्होने यह भी उल्लेखित किया है कि अपीलकर्ता को यह भी निर्देश दिये गये थे कि सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन करले और उसके बाद वह यदि किसी रिकार्ड की सत्यापित प्रति चाहते हैं तो वह उन्हें प्रदान की जा सकती है।

4. यह प्रकरण सुनवाई के लिये दिनांक 23.05.06 को रखा गया था । जिसकी सूचना अपीलकर्ता को दिनांक 18 अप्रैल 2006 को पत्र के द्वारा भेजी गयी थी । अपीलकर्ता सूचना प्राप्त होने के उपरान्त भी सुनवाई के लिये उपस्थित नहीं हुए। प्रथम अपील अधिकारी एवं आयुक्त, नगर निगम उपस्थित हुये जिन्हें सुना गया । उनका कहना है कि अपीलकर्ता ने जो जानकारी मांगी है वह अत्यन्त वृहद है । यह जानकारी 1990 से 2005 तक की अवधि की है और प्रत्येक पट्टेदार से सम्बन्धित है।

5. अपीलकर्ता ने अपने आवेदन पत्र के प्रथम बिन्दु में जो जानकारी चाही है वह अत्यन्त वृहत है और सीमित समय में नहीं दी जा सकती है । यह अन्य व्यक्तियों से संबंध रखती है । वास्तविक रूप से यह जानकारी निजी व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है । जिन व्यक्तियों को आवासीय या व्यवसायिक भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है उनके संबंध में जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को देने के लिये यह आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों को नोटिस देकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का

अवसर दिया जाये । जिस प्रकार का अधिकार अपीलकर्ता को जानकारी प्राप्त करने के लिये दिया गया है उसी प्रकार का अधिकार उन सभी पक्षों को है जिनके संबंध में जानकारी की मांग अपीलकर्ता के द्वारा की गई है। इस लिये यदि अपीलकर्ता को यह जानकारी किसी क्षेत्र के संबंध में चाहिए तो उन्हें चाहिए कि उन्हें जानकारी प्राप्त करने के लिये, उस व्यक्ति या प्लाट से संबंधित व्यक्ति का नाम व पता दे, जिससे अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर धारा 6(1) के अंतर्गत जानकारी प्रदान की जा सके ।

6. दूसरा बिन्दु कम्प्लीशन प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में है । इस बिन्दु के अन्तर्गत भी जानकारी देने के लिये भी यह आवश्यक है कि जानकारी का संकलन किया जाये । अपील अधिकारी एवं आयुक्त नगर निगम का कहना है कि इस प्रकार की जानकारी संकलित करके नहीं रखी जाती है । अधिनियम की धारा 2 (एफ) में सूचना की परिभाषा दी गयी है । इस परिभाषा के अनुसार कि जिस रूप में सूचना उपलब्ध हो उसी रूप में प्रदान की जा सकती है। यदि कोई सूचना साख्यिकी के रूप में संकलित नहीं की गयी है तो केवल सूचना देने के लिये साख्यिकी नहीं बनाई जा सकती है । अतः पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में कोई साख्यिकी नहीं बनाई गयी है तो इस प्रकार की सूचना संकलित करके नहीं दी जा सकती है ।

7. तीसरे बिन्दु में यह जानकारी मांगी गयी है कि यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध अगर कोई निर्माण किया गया है तो क्या कार्यवाही की जा सकती है अपीलकर्ता ने उन विषयों की सत्यापित प्रति चाही गयी है । अपील अधिकारी का यह कहना है भवन निर्माण की अनुमति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 अधिसूचित किये गये है जिन्हें भोपाल नगर निगम ने अपनाया है । इसके अतिरिक्त अधिनियम एवं नियम बाज़ार में उपलब्ध है जो वह प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक सारांश/नोट्स की प्रति देने का प्रश्न है अपीलकर्ता ने किसी अभिलेख का उल्लेख नहीं किया है जिसकी प्रति उन्हें दी जाये । जो अधिनियम/नियम अधिसूचित किये जा चुके हैं उन्हें अपीलकर्ता को देने की आवश्यकता नहीं उन्हें वह अपीलकर्ता बाज़ार से प्राप्त कर सकते हैं । जहां तक किसी अभिलेख के सारांश या नोट्स देने का सवाल है अपीलकर्ता ने अपने आवेदन में किसी अभिलेख की जानकारी नहीं दी है जिसके नोट्स या सारांश की उन्होने मांग की है ऐसी स्थिति में उन्हें यह दिया जाना सम्भव नहीं है।

8. इस प्रकरण में सुनवाई के बाद 4.30 बजे शाम को एक आवेदन पत्र अपीलकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। किसने प्रस्तुत किया, इसकी जानकारी कार्यालय को नहीं है। इस आवेदन पर वह सभी बिन्दु उठाये गये हैं जो अपील ज्ञापन में किये गये हैं, केवल एक अन्य बिन्दु जोड़ा गया है वह मास्टर प्लान के विरूद्ध अवैध निर्माण के सम्बन्ध में है ओर इसमें दिल्ली के उच्च न्यायालय या उच्चतम

न्यायालय के निर्देशों का हवाला दिया गया है और यह अंकित किया गया है कि शहर का विकास सार्वजनिक विषय है और योजना के अनुसार ही अनुमति दी जानी चाहिए।

9. यह विषय न तो लोक सूचना अधिकारी के समक्ष और न ही अपील अधिकारी के समक्ष उठाया गया । मास्टर प्लान का प्रकाशन सार्वजनिक रूप से किया जाता है । यदि अपीलकर्ता का यह मत है कि मास्टर प्लान का उल्लंघन करके निर्माण की अनुमति दी गयी है तो उन स्थलों में जिनमें उल्लघंन उनके अनुसार किया गया है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये आवेदन देना चाहिये ।

10. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता केवल आवेदन देते हैं लेकिन पेशी की निर्धारित तिथि को वह उपस्थित नहीं होते हैं जिससे उन्हें सुना जा सके। वह नगर निगम के अपील अधिकारी के समक्ष भी नहीं उपस्थित हुये और न ही कभी राज्य सूचना आयोग में उपस्थित हुये । उन्होंने गरीबी की रेखा के नीचे होने का रीवा जिला का प्रमाण दिया है और उन्होंने अपना पता भोपाल का दिया है । यदि वह सार्वजनिक विषय में इतनी अधिक रूचि रखते हें तो सुनवाई के समय उन्हें उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये।

11. यह अपील उपरोक्त कारणों से निरस्त की जाती है।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
26 मई 2006